(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबधित लोगों को ध्यान में रखते हुये विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो ।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिये प्रमाणित की जाएगी ।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात फिल्म ऐसी होनी चाहिये जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो ।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुये यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता/पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाये तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा ।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिये तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिये प्रमाणित की जाएगी ।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों ।

पाद टिप्पणी:—सा.का. 9 (ई) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र भाग–2, खंड–3, उपखंड (2) दिनांक 7–1–78 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 5–5–77/एफ. (सी) दिनांक 7–1–78 निम्न द्वारा संशोधित:–

(1) भारत के राजपत्र, भाग–2, खंड–3, उपखंड (2) दिनांक 17–2–79 में सा.का. 618 के रूप में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 5–5–77/एफ.(सी) दिनांक 27–1–79 ।

(2) भारत के असाधारण राजपत्र भाग–2, खंड–3, उपखंड (2) दिनांक 7–5–83 में सा.का. 356(ई) के रूप में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 805/2/83–एफ.(सी) दिनांक 7–5–83 ।

(3) भारत के राजपत्र, भाग–2, खंड–3, उपखंड (2) दिनांक 9–9–89 में सा.का. 2179 के रूप में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 805/4/89–एफ(सी), दिनांक 11–8–89

[फा.सं. 805/1/90–एफ.(सी)]

ह./–
(एस. लक्ष्मीनारायणन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 383857

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली–1

विश्व बैंक सहायता में कमी

*398. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :**
श्री आरू मोहम्मद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के लिये विचाराधीन विश्व बैंक सहायता में कमी करने का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Doordarshan Coverage in Gujarat

*399. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal/representation from Gujarat to bring whole Gujarat State under Doordarshan's coverage;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken/proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) to (c) Representations have been received from time to time from various quarters including the Government of Gujarat to augment the existing TV service in the State.

Whereas the entire State of Gujarat is covered by satellite service, terrestrial transmission is available either wholly or partially to all the districts of the State. With a view to further augment TV service in Gujarat, 6 High Power TV Transmitters, 23 Low Power TV Transmitters and 2 Very Low Power TV Transmitters are presently under implementation/envisaged to be set up in the State, subject to availability of adequate resources and infrastructural facilities for the purpose. The list of locations of TV transmitter projects which are under implementation/envisaged to be set up in Gujarat is given in the Statement (See below). On completion of the aforesaid projects, TV service in Gujarat is expected to increase from 69.7% by area to 95.3 per cent and population-wise from 80.5 per cent to 96.4 per cent.

Statement

Locations of TV Transmitter Projects under Implementation/enviseged to be set up **Gujarat**

High Power Transmitter	Low Power Transmitters	Very Low Power Transmitter
Bhuj*	Lder	Netrang
Palitana	Morvi	Sagwara
Surat	Deesa	
Vadodara	Rajula	
Radhanpur	Khambhalia	
Junagarh	Amod	
	Mangrol(s)	
	Jhagadia	
	Lunawada	
	Botad	
	Jamjodhpur	
	Padhanpur	
	Pajpipla	
	Vyara	
	Dharampur	
	Umargaon	
	Modasa	
	Limbdi	
	Dhandhuka	
	Dhari	
	Una	
	Bantva	
	Shamla Ji	

* The Tower Height is being further augmented.